POSH (कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम)

यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है। मेदांता में इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस व्यक्ति को भी यौन उत्पीड़न का दोषी पाया जायेगा, उसे मेदांता की आंतरिक नीतियों, सेवा नियमों और भारतीय दंड संहिता के अनुसार गंभीर दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगें।

यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अवांछित क्रियाओं और व्यवहारों में से किसी एक या अधिक (चाहे सीधे या निहतार्थ से शामिल हो सकता है: तौर पर हो या किसी के बहकावे में आकर)

- शारीरिक संपर्क या उससे आगे बढ़ना, अथवा
- किसी भी यौन एहसान की माँग या अनुरोध, अथवा
- अश्लील टिप्पणी करना, अथवा
- अश्लील चीजें दिखाना, अथवा
- यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। (उदाहरणस्वरूप: डेटिंग के लिए दबाव, मौखिक दुर्व्यवहार या टिप्पणियां, यौनता से भरे चुटकुले या कार्टून, ऐसी सामग्री जिसकी प्रकृति में अश्लीलता है, अश्लील फोन कॉल)

आंतरिक शिकायत / परिवेदना समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित आंतरिक शिकायतों के उद्देश्य से, मैनेजमेंट ने कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार मेदांता गुरुग्राम में एक आंतरिक समिति का गठन किया है।

डॉ0 संगीता खन्ना (पीठासीन अधिकारी)	सुश्री ऋचा सिंह (सदस्य)	श्री विनोद कृष्णनकुट्टी (सदस्य)	श्री राजीव सिक्का (सदस्य)
सुश्री सुरभी तिवारी (सदस्य)	डॉ0 शयामा चोना (स्वतंत्र सदस्य)	डॉ0 सुरभि ढींगरा (स्वतंत्र सदस्य)	

शिकायत करने के लिए: आंतरिक शिकायत समिति को अपनी औपचारिक शिकायत या तो लिखित पत्र में दें या इस पते पर ई मेल करें:

posh.committee@medanta.org